



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062021-227430
CG-DL-E-09062021-227430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 220]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISHTHA 19, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई 2021

फा. सं. CEA-PS-11-21(21)/3/2021-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (ए.आर.ई.पी.आर.एल), जिसका पंजीकृत कार्यालय 31(ए), छटी मंजिल, प्लॉट नंबर 5, स्वेज फार्म, महिमा त्रिनिटी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर – 302019 है, ने पारेषण योजना “मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के फतेहगढ़, राजस्थान में स्थित 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क की संबद्धता प्रणाली” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division Part-1 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा पारेषण योजना “मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के फतेहगढ़, राजस्थान में स्थित 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क की संबद्धता प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए मेसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स ए.आर.ई.पी.आर.एल ने 31.10.2020 (इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक नवज्योति) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 14.11.2020 से 20.11.2020 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स

ए.आर.ई.पी.आर.एल ने 17.01.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "मैसर्स अदानी रिन्यूबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के फतेहगढ़, राजस्थान में स्थित 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क की संबद्धता प्रणाली" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड - फतेहगढ़ पूलिंग स्टेशन 400 के.वी. डी/सी लाइन *

* उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन के साथ, अक्षय ऊर्जा पार्क में ए.आर.ई.पी.आर.एल द्वारा निम्नलिखित पारेषण लाइनें भी बनाई जाएंगी:

- (क) एनटीपीसी - ए.आर.ई.पी.आर.एल पूलिंग स्टेशन 220 के.वी. एस/सी लाइन डी/सी टॉवर पर
- (ख) आर.एस.ई.पी.एल हाइब्रिड पावर वन लिमिटेड (आर.एच.पी.ओ.एल.) पी.एस.एस-1(सौर) - ए.आर.ई.पी.आर.एल पूलिंग स्टेशन 220 के.वी. एस/सी लाइन डी/सी टॉवर पर
- (ग) आर.एच.पी.ओ.एल पी.एस.एस-2(सौर) - ए.आर.ई.पी.आर.एल पूलिंग स्टेशन 220 के.वी. एस/सी लाइन डी/सी टॉवर पर (इस एस/सी लाइन का कुछ भाग, ए.आर.ई.पी.आर.एल पी.एस. की तरफ, आर.एच.पी.ओ.एल पी.एस.एस-1(सौर) - ए.आर.ई.पी.आर.एल 220 के.वी. एस/सी लाइन के डी/सी टॉवर पर होगा)
- (घ) आर.एच.पी.ओ.एल पी.एस.एस-3(वायु) - ए.आर.ई.पी.आर.एल पूलिंग स्टेशन 220 के.वी. एस/सी लाइन डी/सी टॉवर पर
- (च) आर.एच.पी.ओ.एल पी.एस.एस-4(वायु) - ए.आर.ई.पी.आर.एल पूलिंग स्टेशन 220 के.वी. एस/सी लाइन डी/सी टॉवर पर (इस एस/सी लाइन का कुछ भाग, ए.आर.ई.पी.आर.एल पी.एस. की तरफ, आर.एच.पी.ओ.एल पी.एस.एस-3(वायु) - ए.आर.ई.पी.आर.एल 220 के.वी. एस/सी लाइन के डी/सी टॉवर पर होगा)

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: राजस्थान

गाँव का नाम	तहसील	जिला
नारावतों की ढाणी, परिहारों की ढाणी, सनावरा, दीनूखान की ढाणी, लाखे का नाडो, करालिया, चांदसर नाडा, चारण थाली, नेडान, मेघवालों की ढाणी, चिंचोली डूंगरी, स्वामी नाडा, कुम्हारों की ढाणी, रामदीन की ढाणी, हरजी की ढाणी, मदासर, धौली डूंगरी, भीलों की ढाणी, शादिर की ढाणी, माधो सिंह की ढाणी, चारणों की ढाणी, जेठमल की ढाणी, लखासर (मोडजी की ढाणी), खुहरो का ताला, खुदा की ढाणी, लाखजी की ढाणी, कुंपसिंह की ढाणी, बटियारों की ढाणी, भिराजी की ढाणी, भैरानियां की ढाणी, श्यामसिंह की ढाणी, अमरसर, खांगरसिंह की ढाणी, मधुसिंह की ढाणी, सुखराम का ताला, बालनवाला रारा, मोटोरापी, रावतमल का ताला, बोनाडा, लांगुवाला ताला, राजगढ़, जासोरो की ढाणी, खाम थाली, कानाजी की ढाणी, भडेचा मागरा, भैराज खान की ढाणी, रामपुरिया, तोरन थाली, पनहारो की ढाणी	पोखरन	जैसलमेर
छटालिया नाडा, चारणों की ढाणी, सोना सिंह की ढाणी, काल माली, अचल सिंह की	फतेहगढ़	जैसलमेर

ढाणी, नया अचला, अचला, सांवता, कराडा, नया कराडा, मेहराजोत, मंडनवाली माली, लंबी माली, सोहन सिंह की ढाणी, ईश्वर सिंह की ढाणी, भीख सिंह की ढाणी, लखमणा, गुंडोंवाली माल, रासला, मेघवालों की ढाणी, पूनासर, लक्ष्मण सिंह की ढाणी, ओहोरिया, दमदमेवाली थाली, भेलाणी, दिस्वसेद, नेरिसर, घामरी का माथरा, गाडा माली, बुली की ढाणी, रालियाना ताला (सूखी), कर्मसार, सांगर, डेर माली, सुथरों की ढाणी, पावनासर, रणछोड़ की ढाणी, सांधुवा, विंजोराय (फतेहगढ़), कोडिया तलाव, कोडियासर (खंडहर में), सांधा, लोरियां, मुराद की ढाणी, भीयासर, लाभुराम की ढाणी, कपूरिया, नाडा, कासुराम की ढाणी, खनाऊ दुगान, रीवडी, गिरिज थाली, कोन्या का मठारा, ख्याला, डांगरी, तख्तासर ताला, मालुसर तलाई, मेघवालों की ढाणी, सुथरों की ढाणी, भीलों की ढाणी, खोखरों की ढाणी, राडों की ढाणी, धनिया नाडा, अर्जुन सिंह की ढाणी, अमरानियो की ढाणी, दवाडा, सिलवाला टिब्बा, मसूरीवाला टिब्बा, अचल सिंह की ढाणी, चमन सिंह की ढाणी, चामो की ढाणी, मूलाना, चिंचोली डूंगरी, पुंजराज सिंह की ढाणी		
अरंग, खवारियों की ढाणी, ओलेछा, ओलेछा (खंडहर), गेवान थाला, माताजी का डूंगर, बकरा कुदान, बरियारा (करमाली की ढाणी), धारवी डूंगर, धारवी खुर्द, धारवी कलां, भाटियों की धानी, मेघवालों की धानी, सुथरों की ढाणी, लांगों की ढाणी, रतकुरिया, चोचरा, पाबु माली, राटा नाडा, थोरवाली डूंगरी, भणियाणा, सूरसिंह की ढाणी, मांगलियों की ढाणी, मंगलसर, गादना का ताला, देवरों की ढाणी	भणियाणा	जैसलमेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्येक्षीन है।
- (vi) मेसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

वि. कु. मिश्र, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./86/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 24th May 2021

F.No. CEA-PS-11-21(21)/3/2021-PSPA-I Division.—Whereas M/s Adani Renewable Energy Park Rajasthan Limited (AREPRL), the applicant with its registered office at 31(A), 6th Floor, Plot No 5, Swej Farm, Mahima Trinit, New Sanganer Road, Jaipur - 302019, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity system to M/s Adani Renewable Energy Park Rajasthan Limited for 1000 MW Renewable Energy Park in Fatehgarh, Rajasthan”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division Part-1 dated 29.10.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Adani Renewable Energy Park Rajasthan Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme “Connectivity system to M/s Adani Renewable Energy Park Rajasthan Limited for 1000MW Renewable Energy Park in Fatehgarh, Rajasthan”.

M/s AREPRL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 31.10.2020 (The Indian Express & Daink Navjyoti) and in Weekly Gazette of India dated 14.11.2020 to 20.11.2020 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s AREPRL has submitted an affidavit dated 17.01.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system to M/s Adani Renewable Energy Park Rajasthan Limited for 1000 MW Renewable Energy Park in Fatehgarh, Rajasthan”. The following overhead line(s) are covered under this transmission scheme:

1. Adani Renewable Energy Park Rajasthan Limited - Fatehgarh Pooling Station 400kV D/c line *

*Along with above transmission line, following transmission lines would be implemented by AREPRL in the Renewable Energy Park:

- (a) M/s NTPC – AREPRL Pooling Station 220kV S/c line on D/C tower
- (b) M/s RSEPL Hybrid Power One Limited (RHPOL) PSS-1 (Solar) – AREPRL Pooling Station 220kV S/c line on D/c tower
- (c) M/s RHPOL PSS-2 (Solar) – AREPRL Pooling Station 220kV S/c Line on D/c tower (part of this S/c line towards AREPRL PS end would be strung on D/c towers of RHPOL PSS-1 (Solar) - AREPRL 220kV S/c line)
- (d) M/s RHPOL PSS-3 (Wind) – AREPRL Pooling Station 220kV S/c line on D/c tower
- (e) M/s RHPOL PSS-4 (Wind) – AREPRL Pooling Station of 220kV S/c line on D/c tower (part of this S/c line towards AREPRL PS end would be strung on D/c towers of RHPOL PSS-3 (Wind) – AREPRL 220kV S/c line)

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE :RAJASTHAN

Names of the village	Tehsil	District
Narawaton Ki Dhani, Pariharon Ki Dhani, Sanawra, Dinukhan Ki Dhani, Lakhe Ka Nado, Karalia, Chandsar Nada, Charan Thali, Neran, Meghwalon Ki Dhani, Chincholi Dungari, Swami Nada, Kumharon Ki Dhani, Ramdin Ki Dhani, Harji Ki Dhani, Madasar, Dhauli Dungari, Bhilon Ki Dhani, Shadir Ki Dhani, Madho Singh Ki Dhani, Charanon Ki Dhani, Jethmal Ki Dhani, Lakhasar (Modji Ki Dhani), Khuhro Ka Tala, Khuda Ki Dhani, Lakhji Ki Dhani, Kumpsingh Ki Dhani, Batyaron Ki Dhani, Bhiraji Ki Dhani, Bhairaniyan Ki Dhani, Shyamsingh Ki Dhani, Amarsar, Khangarsingh Ki Dhani, Madhusingh Ki Dhani, Sukhram	Pokhran	Jaisalmer

Ka Tala, Balanwala Rara, Motorapie, Rawatmal Ka Tala, Banara, Longuwala Tala, Rajgarh, Jasoron Ki Dhani, Kham Thali, Kanaji Ki Dhani, Bhadecha Magra, Bhiraj Khan Ki Dhani, Rampuria, Toran Thali, Panharon Ki Dhani		
Chataliya Nada, Charnon Ki Dhani, Sona Singh Ki Dhani, Kall Mali, Achalsingh Ki Dhani, Naya Achala, Achala, Sanwata, Karara, Naya Karara, Mehrajot, Mandanwali Mali, Lambi Mali, Sohansingh Ki Dhani, Ishwarsingh Ki Dhani, Bhikhsingh Ki Dhani, Lakhmana, Gundonwali Mal, Rasla, Meghwalon Ki Dhani, Puna Sar, Lakshmansingh Ki Dhani, Ohhoria, Damdamewali Thali, Bhilani, Diswsed, Nerisar, Ghamri Ka Mathara, Gada Mali, Buli Ki Dhani, Raliyana Tala (Dry), Karmsar, Sangar, Der Mali, Sutharon Ki Dhani, Pabnasar, Ranchhor Ki Dhani, Sandhuwa, Vinjorai (Fatehgarh), Kодиya Talav, Kodiasar (in ruins), Sandha, Lorriyan, Murad Ki Dhani, Bhiyasar, Labhurar Ki Dhani, Kapuria, Nada, Kasuram Ki Dhani, Khanau Dugan, Rivri, Girinj Thali, Konya Ka Mathara, Khiyala, Dangri, Takhtasar Tala, Malusar Talai, Meghwalon Ki Dhani, Sutharon Ki Dhani, Bhilon Ki Dhani, Khokhron Ki Dhani, Radon Ki Dhani, Dhaniya Nada, Arjun Singh Ki Dhani, Amraniyo Ki Dhani, Duwara, Silwala Tibba, Masuriwala Tibba, Achal Singh Ki Dhani, Chaman Singh Ki Dhani, Chamon Ki Dhani, Mulana, Chincholi Dungari, Punjraj Singh Ki Dhani	Fatehgarh	Jaisalmer
Arang, Khavariyon Ki Dhani, Olecha, Olecha (in ruins), Gewan Thala, Mataji Ka Dungar, Bakra Kudan, Bariyara (Karmali Ki Dhani), Dharvi Dungar, Dharvi Khurd, Dharvi Kalan, Bhatiyon Ki Dhani, Meghwalon Ki Dhani, Suthron Ki Dhani, Langon Ki Dhani, Ratkuria, Chochra, Pabu Mali, Rata Nada, Thorwali Dungri, Bariyara, Sursingh Ki Dhani, Manglian Ki Dhani, Mangalsar, Gadna Ka Tala, Devro Ki Dhani	Bhaniyana	Jaisalmer

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Adani Renewable Energy Park Rajasthan Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Adani Renewable Energy Park Rajasthan Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

V.K. MISHRA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./86/2021-22]